राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— एफ.2(क)(एम—511) अलेसे—I/341-352. दिनांकः— 11/06/2025

आदेश

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ने अपने पत्रांक 3980—82 दिनांक 18.10.2024 से श्री मूलचन्द पालीवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। (लिंक नं0. 9383) कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सिरोही द्वारा इनके विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 199/2020 पंजीबद्ध कर अनुसंधान के उपरान्त अपराध अन्तर्गत धारा 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम—1988 (यथा संशोधित 2018) में वर्णित अपराध के लिए प्रथम दृष्ट्या लिप्त पाये जाने पर इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 318 दिनांक 11.06.2025 द्वारा इनके विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

अतः कार्मिक (क—3) विभाग के परिपत्र क्रमांक प.2(157) कार्मिक/क—3/शिका/97 दिनांक 22.03.2023 के बिन्दु संख्या ए(2) के अनुसरण में श्री मूलचन्द पालीवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम—13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में अभियोजन स्वीकृति दिनांक 11.06.2025 से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय कोषालय भीलवाडा रहेगा।

श्री मूलचन्द पालीवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। निलम्बन काल में श्री पालीवाल नियमित रूप से मुख्यालय कोषालय भीलवाडा में अपनी उपस्थिति अंकित करेंगें।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः— एफ.2(क)(एम—511) अलेसे—I/341-352 दिनांकः— 11/06/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निदेशालय स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर को श्री पालीवाल के निलम्बन आदेश की प्रति संलग्न कर लेख है कि उक्त निलम्बन आदेश श्री पालीवाल को सुपुर्द करवाकर प्राप्ति रसीद इस निदेशालय को भिजवाये।
3. कोषाधिकारी, भीलवाडा, श्री पालीवाल, सलेअ—। को यह भी निर्देश देवें कि वे अपना मुख्यालय आपकी पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोडें।
4. श्री मूलचन्द पालीवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—। कार्यालय अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर ।
5. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. डीपीसी शाखा/जांच शाखा/एसीआर शाखा/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।

(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—I)